न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 146 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. भीमाराम पुत्र मांगीलाल कौम कुम्हार निवासी सालावास लूणी जिला जोधपुर 2. मुल्तानमल पुत्र पूनमाराम कौम माली निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा 3. वालाराम पुत्र दिलीप कुमार कौम कुम्हार 4. दिनेश पुत्र धनाराम कौम कुम्हार साकिन निवासीयान जसोल तहसील पचपदरा	1. राजस्थान राज्य जरीये भुमिधारक तहसीलदार पचपदरा 2. थानाराम गोद पुत्र मोडाराम 3. खंगाराराम पुत्र भोपाराम कौम राईका निवासी बालोतरा 4. श्रीमती कुसुमदेवी पत्नी जगतसिंह कौम ओसवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा 5. छगनदान पुत्र हेमदान कौम चारण निवासी बालोतरा 6. उस्मान गनी पुत्र अब्दुल रहमान कौम मुसलमान निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 273 / 2021 बअनवान सरकार बनाम थानाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 06.06.2022 ।

उपस्थिति

1. वकील श्री अचलाराम थोरी अपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—12.10.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाधीन आदेश के द्वारा रेस्पोडेंट / प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार करके ग्राम जैरला के खसरा संख्या 27 रकबा 05. 18 के खातेदारान् (अपीलांट / विप्रार्थीगण) के खातेदारी अधिकार की भूमि में से 35231 वर्ग फीट भूमि सदैव के लिए समाप्त करके भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर समस्त राजस्व अभिलेख में अंकन सुनिश्चित करने का आदेश पारित किया। खातेदारान द्वारा उक्त भूमि का कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग लेकर अवैध रूप से कपड़ा फैक्ट्री निर्मित कर अकृषि कार्य किया गया है जो राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिनके विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है। अपीलांटगण द्वारा उक्त भूमि का कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं लिया गया और न ही धारा 177 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दोहरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराया कि अपीलांट तथा अन्य सहखातेदारों का हिस्सा जमावन्दी में दर्ज अनुसार है, उक्त हिस्से पर अपीलांट के द्वारा कभी भी कोई अकृषि कार्य नहीं किया गया, बल्कि मौके पर जिनके द्वारा अकृषि कार्य किया गया उनका विवरण पटवारी, आई एल आर द्वारा तैयार मौका फर्द के क्रम संख्या 03, 04, 05, 06 में दर्ज अनुसार है, जिसके क्र संख्या 03 पर छगनदान जो वर्तमान प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 05 है के द्वारा 118 गुणा 60 फीट की परिधि में अकृषि कार्य किया जा रहा था, इसी प्रकार क्रम संख्या 04 पर फारूक नाम का व्यक्ति 85 गुणा 125 फीट की परिधि में अकृषि कार्य कर रहा था, उक्त फारूक ने जरीये इकरारनामा भूमि भीमाराम पुत्र मांगीलाल प्रजापत से खरीद की थी, भीमाराम ने उक्त सम्पति रेस्पोडेंट संख्या 02 थानाराम से जरीये रजिस्ट्री खरीद की थी, जिसका नाम राजस्व रेकर्ड जमावन्दी में दर्ज नहीं है, इसी प्रकार क्रम संख्या 05 अलाद्दीन ने जरीये रजिस्ट्री उक्त भूमि रेस्पोडेंट संख्या 02 थानाराम से खरीद की थी, इसी प्रकार क्रम संख्या 06 पर दर्ज गणपतलाल के द्वारा 9126 वर्ग फीट भूमि पर अकृषि कार्य किया जा रहा था, गणपतलाल ने उक्त भूमि रेस्पोडेंटस संख्या 02 थानाराम से खरीद की, यदि मौके पर कोई अकृषि कार्य किया हुआ पाया जाता तो थानाराम या उससे खरीद करने वाले या खंगाराराम या उससे खरीद करने वाले व्यक्तियों जिनके द्वारा अकृषि कार्य किया हुआ पाया जाता तो थानाराम या उससे खरीद करने वाले या खंगाराराम या उंससे खरीद करने वाले व्यक्तियों जिनके द्वारा अकृषि कार्य किया जा रहा था, के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने थे या किये जा सकते थे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नही है। अपीलांटगण द्वारा उक्त भूमि का कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नहीं लिया गया और न ही धारा 177 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा ग्राम जैरला के खसरा संख्या 27 रकबा 05.18 के खातेदारान् (अपीलांट/विप्रार्थीगण) के खातेदारी अधिकार की भूमि में से 35231 वर्ग फीट भूमि विवादग्रस्त आराजी में कृषि से भिन्न अवैध कपड़ा फैक्ट्रियों का संचालन किया जा रहा है बिना औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित करवाये। अपीलाधीन आराजी कृषि भूमि जिसका अपीलांटस एवं रेस्पोडेटस द्वारा कृषि भूमि का अकृषि उपयोग कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए विधि सम्मत पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि बिना प्रतिवादीगण को विधिवत तारीख पेशी की सूचना तामील कराये प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित किया गया है कि "मौजा जैरला के खसरा संख्या 27 रकबा 05.18 बीघा किस्म बा दोयम विप्रार्थीगण संख्या 01 से 09 तक के नाम संयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व रैकर्ड में दर्ज है, उपरोक्त खातेदारी भूमि में से रकबा 35231 वर्ग फीट भुमि पर विप्रार्थीगण द्वारा अकृषि उपयोग मे ली जाकर मौके पर अवैध रूप से अवैध कपडा फैक्ट्री निर्मित कर अकृषि कार्य किया जा रहा है।" यह प्रार्थना–पत्र पटवारी हल्का के मौके देखने की दिनांक 14.09.2021 पर आधारित है जो पटवारी रामीसन द्वारा तैयार की गई है। इसमें अपीलाधीन आराजी पर अवैध टेक्सटाईल्स संचालन की सूची बताई गई जिसमें अपीलांटगण का कही पर भी उल्लेख नहीं किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि कृषि भूमि पर अवैध अकृषि कार्य अपीलांटगण/अप्रार्थीगण खातेदारों द्वारा किया गया। हस्तगत आवेदन में अपीलांटस को रिकॉर्डेड खातेदार होने से उन्हे विप्रार्थी रूप में संयोजित कर लिया गया। अपीलांटस में से किस खातेदार द्वारा अवैध कपड़ा फैक्ट्रियों का निर्माण किया गया, स्पष्ट रूप से उल्लेखित नही किया गया न ही संलग्न सूचि में अपीलांटस का नाम है। ऐसी स्थिति में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णायक रूप से यह साबित नहीं किया गया कि विवादित खसरे में कहां–कहां, कितने रकबे में, किस–किस काश्तकार द्वारा अवैध कपड़ा फैक्ट्रियां का निर्माण कर अकृषि कार्य किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मुताबिक धारा 177 के तहत प्रस्तुत आवेदन में प्रतिवादी(Contest) की स्थिति हो जाने के बाद वाद रूप में हस्तगत प्रकरण में फर्द मौका में उल्लिखित तथ्यों उभयपक्ष गवाहों के बयान लिये बगैर ही निर्णय कर दिया गया जो विधि सम्मत एवं न्यायिक प्रक्रिया की पूर्ण पालना नहीं की गई। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटस की अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 273/2021 बअनवान सरकार बनाम थानाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 06.06.2022 को अपास्त किया जाता है तथा हस्तगत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कल्क्टर बालोतरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को सुनवाई, साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 12.10.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर